

प्रति,

माननीय

स्थान -

दिनांक -

पत्र क्रमांक -

विषय - 'गाय' को 'राष्ट्रीय पशु' का दर्जा दिलाए जाने के संबंध में।

मान्यवर,

भारतीय संस्कृति में जीवदया, अहिंसा, प्राणिमैत्री एवं परोपकार जैसे सदगुणों एवं उदात्त मूल्यों को सर्वोच्च वरीयता दी जाती है। इसी कारण से पशुधन के बीच 'गाय' (Cow, Scientific name—Bos Taurus/Bos Indicus) का महत्व, उपयोगिता को साहित्य और संस्कृति में सदा ही उच्चतम आदर्श मूल्यों के कारण लोकप्रसिद्धि प्राप्त है। गाय से प्राप्त पंचगव्यों के प्रयोग से जहाँ प्राणियों को शारीरिक आरोग्यता एवं पुष्टि प्राप्त होती है, वहीं प्रकृति एवं पर्यावरण की सुरक्षा के लिये निरापद साधन भी उपलब्ध होते हैं। इसी कारण भारत में गाय को 'गौमाता' कहकर जन्मदाता 'माँ' जैसा श्रेष्ठ दर्जा/स्थान भी प्रदान किया जाता है। अतएव माननीय महोदय से अनुरोध है कि गाय के प्रदेय को रेखांकित करते हुए गाय को 'राष्ट्रीय पशु' के रूप में स्थापित किए जाने हेतु संवैधानिक प्रक्रिया करके अधिसूचित किया जाए।

ध्यान देने योग्य तथ्य है कि राजस्थान सरकार के पशुपालन विभाग के उप-सचिव एन. एल. गुप्ता के हस्ताक्षर से अधिसूचना क्र. म 4 (3)पपा/2014, जयपुर, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को निर्गमित की गई थी। 'राजस्थान का राज्य पशु' विषयक इस नवीन निर्देश में निम्न उल्लेख किया गया है-

"राज्यपाल महोदय 'चिंकारा' (CHINKARA) (gazella bennettii) के साथ-साथ 'ऊँट' (Camel) (Camelus dromedarius) को भी सहर्ष 'राजस्थान का राज्य पशु' घोषित करते हैं।"

इस अधिसूचना से सुस्पष्ट है कि राजस्थान सरकार ने पूर्व में निर्धारित राज्य पशु 'चिंकारा' के साथ-साथ अब 'ऊँट' को भी राज्य पशु के रूप में घोषित कर दिया है। इस प्रकार राजस्थान प्रदेश में अब दो प्राणी 'राज्य पशु' के दर्जे से अभिमण्डित हो गए हैं।

भारत सरकार से देश भर के नागरिक अनुरोध करते हैं कि वह अपने अधिकार के तहत 'गाय' को स्वतंत्र रूप से 'राष्ट्रीय पशु' का दर्जा प्रदान करे। कदाचित्, यदि ऐसा कर पाना संवैधानिक दृष्टि से संभव नहीं हो, तो राजस्थान सरकार के द्वारा निर्गमित उपरिलिखित अधिसूचना के अनुरूप ही वर्तमान में निर्धारित 'राष्ट्रीय पशु' के साथ ही गाय को भी 'राष्ट्रीय पशु' का दर्जा दिया जाना तो सुनिर्धारित किया ही जा सकता है।

आशा है आप इस विषय कि महत्ता को दृष्टि में रखकर त्वरित गति से कार्रवाई सुनिश्चित कराकर गाय को उसके वास्तविक गौरवपूर्ण स्थान/दर्जा दिलाने में अवश्य ही सहभागिता प्रदान करेंगे। आपके द्वारा इस विषय में की/कराई गई कार्रवाई की एक प्रति हमें भी उपलब्ध हो सके, ऐसी आपसे महती आपेक्षा करते हैं। सादर।

संलग्न - राजस्थान सरकार की उपरिलिखित अधिसूचना की प्रति।

भवदीय

प्रति,

माननीय
.....
.....

स्थान -
दिनांक -
पत्र क्रमांक -

विषय - 'गाय' को 'राष्ट्रीय पशु' का दर्जा दिलाए जाने के संबंध में।

मान्यवर,

भारतीय संस्कृति में जीवदया, अहिंसा, प्राणिमैत्री एवं परोपकार जैसे सदगुणों एवं उदात्त मूल्यों को सर्वोच्च वरीयता दी जाती है। इसी कारण से पशुधन के बीच 'गाय' (Cow, Scientific name—Bos Taurus/Bos Indicus) का महत्व, उपयोगिता को साहित्य और संस्कृति में सदा ही उच्चतम आदर्श मूल्यों के कारण लोकप्रसिद्धि प्राप्त है। गाय से प्राप्त पंचगव्यों के प्रयोग से जहाँ प्राणियों को शारीरिक आरोग्यता एवं पुष्टि प्राप्त होती है, वहीं प्रकृति एवं पर्यावरण की सुरक्षा के लिये निरापद साधन भी उपलब्ध होते हैं। इसी कारण भारत में गाय को 'गौमाता' कहकर जन्मदाता 'माँ' जैसा श्रेष्ठ दर्जा/स्थान भी प्रदान किया जाता है। अतएव माननीय महोदय से अनुरोध है कि गाय के प्रदेय को रेखांकित करते हुए गाय को 'राष्ट्रीय पशु' के रूप में स्थापित किए जाने हेतु संवैधानिक प्रक्रिया करके अधिसूचित किया जाए।

ध्यान देने योग्य तथ्य है कि राजस्थान सरकार के पशुपालन विभाग के उप-सचिव एन. एल. गुप्ता के हस्ताक्षर से अधिसूचना क्र. म 4 (3)पपा/2014, जयपुर, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को निर्गमित की गई थी। 'राजस्थान का राज्य पशु' विषयक इस नवीन निर्देश में निम्न उल्लेख किया गया है—

"राज्यपाल महोदय "चिंकारा" (CHINKARA) (gazella bennettii) के साथ-साथ "ऊँट" (Camel) (Camelus dromedarius) को भी सहर्ष "राजस्थान का राज्य पशु" घोषित करते हैं।"

इस अधिसूचना से सुस्पष्ट है कि राजस्थान सरकार ने पूर्व में निर्धारित राज्य पशु 'चिंकारा' के साथ-साथ अब "ऊँट" को भी राज्य पशु के रूप में घोषित कर दिया है। इस प्रकार राजस्थान प्रदेश में अब दो प्राणी 'राज्य पशु' के दर्जे से अनिमग्नित हो गए हैं।

भारत सरकार से देश भर के नागरिक अनुरोध करते हैं कि वह अपने अधिकार के तहत 'गाय' को स्वतंत्र रूप से 'राष्ट्रीय पशु' का दर्जा प्रदान करे। कदाचित्, यदि ऐसा कर पाना संवैधानिक दृष्टि से संभव नहीं हो, तो राजस्थान सरकार के द्वारा निर्गमित उपरिलिखित अधिसूचना के अनुरूप ही वर्तमान में निर्धारित 'राष्ट्रीय पशु' के साथ ही गाय को भी 'राष्ट्रीय पशु' का दर्जा दिया जाना तो सुनिर्धारित किया ही जा सकता है।

आशा है आप इस विषय कि महत्ता को दृष्टि में रखकर त्वरित गति से कार्रवाई सुनिश्चित कराकर गाय को उसके वास्तविक गौरवपूर्ण स्थान/दर्जा दिलाने में अवश्य ही सहभागिता प्रदान करेंगे। आपके द्वारा इस विषय में की/कराई गई कार्रवाई की एक प्रति हमें भी उपलब्ध हो सके, ऐसी आपसे महती आपेक्षा करते हैं। सादर।

संलग्न - राजस्थान सरकार की उपरिलिखित अधिसूचना की प्रति।

भवदीय

राजस्थान राज्य
पशुपालन विभाग


जयपुर, दिनांक 16 SEP 2014

जयपुर, दिनांक 16 SEP 2014

अधिसूचना

विषय:- "राजस्थान का राज्य पशु"


राजस्थान राज्य का "चिंकारा" (CHINKARA) (Gazella bennettii) को
राज्य पशु (Camel) (Camelus dromedarius) को भी राज्य "राजस्थान
राज्य पशु" धारित करते हैं।

अदेश से

(एन एन मुन्डा)
शासन उप सचिव

अदेश से निम्न की सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

निदेशिका संख्या: 18/20/14
दिनांक: 16/09/2014

1. मुख्य सचिव, मामलतिय राजस्थान महोदय, राजस्थान
2. सचिव, भारतीय पशुपालन महोदय
3. विभिन्न संसदसभ माननीय मंत्री महोदय, पशुपालन, मत्स्य एवं वीधलन विभाग
4. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
5. जिला सचिव, प्रकृतिगत सृजन सचिव, पशुपालन विभाग
6. जिला सचिव, शासन सचिव, पशुपालन विभाग
7. सहायक सचिव, राजस्थान
8. समस्त संसदीय अनुसूक्त/जिला कलेक्टर/मुंसिफ अधीक्षक, राजस्थान
9. प्रबन्ध निदेशक, आर.सी.डी.एफ., जयपुर
10. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग राजस्थान जयपुर
11. निदेशक, राजस्थान, बीकानेर,
12. निदेशक, पशुपालन/मत्स्य/गो सेवा राजस्थान जयपुर
13. मुख्य कार्यवाही अधिकारी, राजस्थान पशुपालन विकास बोर्ड, जयपुर
14. अधीक्षक, राज्य कन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना को विशेष राजपत्र में प्रकाशित करवाकर प्रकाशित राजपत्र को प्रति इस विभाग को प्रेषित करने का प्रयत्न कराई।
15. निदेशक, राजस्थान


शासन उप सचिव